राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4489/2022

मुरारी लाल मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व), सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।
4. चैनसुख मीणा, कनिष्ठ लेखाकार जरिये निदेशक एवं संयुक्त सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी–ाा के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपनिदेशक आयुर्वेद, सवाईमाधोपुर रिक्त पद पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, गंगापुरसिटी से अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर सिटी खण्डीय लेखाकार के पद पर अपीलार्थी के स्थान पर अपीलार्थी से कनिष्ठ का समंजन (Accommodation) किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है (अनुलग्नक–4)। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2000 एवं 21.08.2008 के अनुसार विकलांग कार्मिकों का पदस्थापन निकटवर्ती स्थान पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या

12655/2022 राकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2022 एवं माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 2677/2022 डॉ0 गिरधर गोपाल चौरसिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर सहायक लेखाधिकारी–ाा के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में कार्य करने दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1 एवं 2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य